

Regarding need to address the menace of micro-finance companies giving loan at exorbitant rate of interest in Bihar-Laid

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : मैं केंद्र सरकार का ध्यान बिहार सहित देशभर में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीबों पर किए जा रहे शोषण तथा अत्यधिक कर्ज के दबाव के कारण बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कंपनियाँ, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, महिला जैसे कमजोर वर्गों को आसान ऋण के नाम पर कर्ज के जाल में फँसा रही हैं। इनके अत्यधिक ब्याज दर, अमानवीय वसूली का दबाव और मानसिक प्रताड़ना के कारण गरीब लोग गहरे संकट में हैं। इन कंपनियों के उत्पीड़न से त्रस्त होकर बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में हजारों लोग आत्महत्या करने को विवश हुए हैं। हल के दिनों में बिहार कि प्रमुख घटनाये। इन कंपनियों के उत्पीड़न से त्रस्त होकर कैमूर में भभुआ थाना एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. सकरा, मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, गुठनी, सिवान की एक महिला ने आत्महत्या कर ली, सहरसा के एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तथा दरभंगा की एक महिला ने आत्महत्या की। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के अत्यधिक व्याज दर, अमानवीय वसूली प्रक्रिया और शोषण, मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर नियमन किया जाए ताकि कर्जग्रस्त गरीब परिवारों को राहत प्रदान की जा सके तथा वसूली प्रक्रिया को मानवीय, पारदर्शी और कानून सम्मत बनाया जा सके।